संख्या: 79/2021/2215/12-2-2021-एफ.42/2001

प्रेषक,

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर,मुरादाबाद, रामपुर, बरेली,
पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, बलरामपुर,
सिद्धार्थनगर, बस्ती, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया,
बलिया, गाजीपुर, चन्दौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट,
बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा,
फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद,
बागपत एवं शामली।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक 24 अक्टूबर, 2021

विषय: अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तर्राज्जीय सीमाओं के निकटवर्ती जनपदों में उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण की सघन निगरानी किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया प्रश्नगत विषय के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या: 1780/81485/12-2099/412/2019 दिनांक 26 अगस्त, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त शासनादेश द्वारा प्रदेश की अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तर्राज्जीय सीमाओं के निकटवर्ती जनपदों में उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण की सघन निगरानी किए जाने के हेतु विस्तृत निर्देश दिये गये हैं।

3. आप अवगत हैं कि प्रदेश में वर्तमान में रबी सीजन की फसलों की बुआई का कार्य प्रारम्भ हो चुका है तथा कृषकों द्वारा बुवाई के समय प्रयोग हेतु फास्फेटिक उर्वरकों का तेजी से क्रय किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जाना है कि सीमावर्ती जनपदों से अन्य राज्यों के कृषकों को उर्वरकों का विक्रय न किया जाए तथा राज्य के कृषकों को भी जोत-बही/खतौनी के आधार पर बिक्री हो।

4. अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उर्वरकों की बिक्री हेतु निम्नानुसार कार्यवाही अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए:-

(i) शासनादेश संख्या: 2438/12-2-2019-एफ/2001, दिनांक 14.8.2019 में भारत-नेपाल सीमा से 05 कि0मी0 क्षेत्र के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में उर्वरकों की बिक्री हेतु उर्वरक निबन्धन प्रमाण-नत्र निर्गत न किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि सीमावर्ती जनपदों के प्रदेश के कृषकों को समय से उनकी मांग के अनुसार उर्वरक सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराया जा सके।

http://shasanadesh.up.gov.in

(ii) आवश्यकतानुसार पुलिस एवं स्टेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की सहायता से अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तर्राज्यीय सीमाओं पर सतर्क दृष्टि रखी जाए एवं उर्वरकों के अवैध परिसंचलन में संलिप्त पाये जाने वाली असामाजिक तत्वों के विरूद्ध आदेश/अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(iii) प्रदेश के बाहर उर्वरक के यातायात पर प्रभावी रोक लगाने हेतु सीमा की चौकियों को सतर्क दृष्टि रखने हेतु निर्देशित किया जाए।

(iv) कृषि, पुलिस तथा प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों के सचल दल गठित कर निरीक्षण तथा छापे की कार्यवाही सम्पन्न की जाए और अवैध कार्यो में लिप्त पाए गए व्यक्तियों के व्रिरूद्ध कड़ी विधिक कार्यवही की जाए।

(v) प्रदेश के बाहर के कृषकों को उर्वरक बिक्री एवं जोत-बही/खतौनी के अनुसार संस्तुत मात्रा से अधिक मात्रा में उर्वरकों की बिक्री करने वाले उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध जांच कर उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं उर्वरक परिसंचलन (नियंत्रण) आदेश, 1973 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाई की जाए।

(vi) माह सितम्बर तथा अक्टूबर, 2021 के टॉप 100 क्रेताओं की समीक्षा कर यह देखा जाए कि क्या सीमावर्ती राज्यों के कृषकों को उर्वरक बिक्री हुई है? यह भी देखा जाए कि बिना जोत बही के फुटकर बिक्रेताओं से अधिकतम डी0ए0पी0 प्राप्त कर उसका अवैध हस्तांतरण नहीं किया गया हो। ऐसी स्थिति होने पर सम्बन्धित फुटकर विक्रेताओं और संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही अधिनियम के सुसंगत धाराओं में की जाए।

(vii) उर्वरक की उपलब्धता की जानकारी निरन्तर मीडिया के माध्यम से जनपद स्तर पर उपलब्ध कराई जाती रहे। समाचार पत्रों और सोशल मीडिया में किसी भी प्रकार के भ्रामक दुष्प्रचार को रोकने हेतु, ऐसी खबर आने पर तत्काल उसका खण्डन जिलाधिकारी द्वारा समस्त तथ्यों के साथ बिना किसी विलम्ब के किया जाए।

कृपया उक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(डॉ0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 79/2021/2215(1)/12-2-2021, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, एस0आई0बी0, 11वॉ तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ,
2. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, उत्तर प्रदेश,
3. संयुक्त निदेशक, इन्टेलीजेंस ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, माल एवेन्यू, लखनऊ,
4. पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, बलरामपुर,

http://shasanadesh.up.gov.in

सिद्धार्थनगर, बस्ती, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया,बलिया, गाजीपुर, चन्दौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बागपत एवं शामली जनपद,

5. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
6. प्रबंध निदेशक, पी0सी0एफ0/यू0पी0एग्रो/गन्ना संघ/औद्यानिक संघ, उत्तर प्रदेश,
7. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
8. संयुक्त कृषि निदेशक (उर्वरक), कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
9. सम्बन्धित जनपदों के मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश,
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in